

~~50~~

1 AL

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती कमलाबाई बनाम बापु रत्ना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 1573/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमलाबाई</u> पत्नी <u>श्री शम्भुलाल जाट</u></p> <p>निवासी- <u>सेमालिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेमालिया (पन्ह. अमरपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>21 रकबा 1.2200</u> <u>22 रकबा 0.9900 433/33 रकबा 0.0700</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>2.2800</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेमालिया (पन्ह. अमरपुरा तह. वल्ही)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>21</u>, <u>22</u>, <u>433/33</u> <u>1.2200</u>, <u>0.9900</u>, <u>0.0700</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>2.2800</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पन्च सौ ब्याप</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>Emp</u> (रामचन्द्र खदीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>